निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 56) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सी0(डि0)–14–04/2013/1980––श्री सुमन कुमार, (आई0डी0–3590), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–72 दिनांक 16.01.2014 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

1. आपके सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के अवर प्रमंडल संख्या–1 में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन के दौरान कार्य स्थल की सूचना कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को उपलब्ध नहीं कराना आपकी कार्य में अभिरूचि नहीं रखने को प्रमाणित करता है। उक्त पदस्थापन के दौरान आपके द्वारा मलई बराज का सर्वेक्षण कार्य नहीं किया और न ही विभिन्न संरचनाओं एवं पहुँचपथ, कार्यालय भवन स्थल पर डोरमेंट्री, खलासी शेड आदि का प्राक्कलन समर्पित किया गया।

2. आपके द्वारा रूपांकण आंकड़ा संग्रहण, बराज के फ्रीन लाईन का डिमार्केशन तथा डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण से इंकार किया गया एवं भू–अर्जन प्लान बनाकर समर्पित नहीं किया गया।

3. आपके अक्सर पटना में रहने के कारण मलई बराज निर्माण कार्य में बाधा पहुँची एवं परोक्ष रूप से मलई बराज के निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाने की नियत से उच्छृंखल एवं अनुशासनहीन कर्मचारियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करने में आपकी संलिप्तता पाई गई है।

4. आपके द्वारा माननीय मंत्री, उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को सीधे आवेदन देकर अपने उपर लगे आरोपों से मुक्त होने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध है।

इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, अपने उपर लगे आरोपों से मुक्त होने के लिए गलत तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने एवं मंत्री पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करने के लिए आप दोषी हैं।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में केवल आरोप संख्या–4 को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि अनुशासनहीनता के संबंध में लिखित साक्ष्य नहीं रहने के आधार पर इसे क्षम्य नहीं किया जा सकता। उक्त मामले में दिनांक 11.06.2013 को हुई मुख्य अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य

अभियंताओं द्वारा बताया गया कि बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद कतिपय सहायक अभियंताओं द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य पदाधिकारियों में भी हतोत्साह की भावना उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा हरेक कार्य/निदेश के लिए लिखित पत्र निकाला जाय और हरेक अवहेलना पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सुमन कुमार (आई0डी0–3590), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को उनकी अनुशासनहीनता के प्रमाणित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–4 को प्रमाणित पाए जाने से सहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा निम्नदंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुमन कुमार (आई0डी0–3590), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 56-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in